UPBN240008702026

Bail Application/159/2026

न्यायालयः: न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहसवान, जनपद-बदायूँ।

<u>आदेश</u>

11.03.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण **मंटूरी, संटूरी व सरवन उर्फ करूं** की तरफ से **फौजदारी वाद संख्या-2244/2025, मुकदमा अपराध संख्या-159/2023, अंतर्गत धारा-323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-मुजरिया, जनपद-बदायूँ** में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को जमानत प्रार्थना पत्र सुना गया।

अभियुक्तगण आज न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त पर विरोध अंकित किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रश्नगत ममाले में विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है तथा मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है तथा अभियुक्तगण जमानत संस्थित करने को तैयार हैं।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अभियुक्तगण उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा"**श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2025)**"के मामले में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में **प्रत्येक अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अंकन 25,000/- रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के एक प्रति-भू** दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(हरेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद बदायूँ।
J.O.CODE. UP3676

Transcribed on :A.Ali(Steno)